बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–3/आ0 वि0 (संधा0)– 01–02/2012– 2967

प्रेषक,

रवि परमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना, दिनांक– 28-12-12

विषयः **अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालयों तथा अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में रह कर पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं के बिहार भ्रमण के संबंध में दिशा–निर्देश।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में आवासित रहकर पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं के बिहार भ्रमण हेतु सामग्री एवं पूर्तियॉ मद से अधिकतम ₹20,000=00 (बीस हजार) प्रति विद्यालय प्रति वर्ष व्यय किया जा सकता है। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी।

2– राशि का व्यय उसी शीर्ष से विकलनीय होगा जिस शीर्ष से सामग्री एवं पूर्तियॉ की राशि विकलित किया जाता है।

3– संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय की गई राशि का व्यय प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र अपने अनुभव के आलोक में मंतव्य भ्रमण के 15 दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

4– प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

5– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

28/12/12

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 3/आ0 वि0 (संधा0)– 01–01/2011– 2967 पटना, दिनांक– 28.12.12

<u>प्रतिलिपि</u> : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी,/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त /संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित उप विकास आयुक्त, /सम्बंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण/सांख्यिकी कोषांग, बजट शाखा/आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/12/12

सरकार के सचिव

sanction-sc-st-res-school-tour-12-13